

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-01/2016 287

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता —सह—  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 07-03-17

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49P470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष                                | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                              | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                                   | आवंटित राशि (लाख रु. में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                                                                     | 3                                               | 4                                                          | 5                         |
| 1.   | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य/ | 800-अन्य व्यय/ 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन | 05-निर्माण/ 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49P470180800460545 | 264.78                    |

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ चौसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 2100.00 लाख (एक्कीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

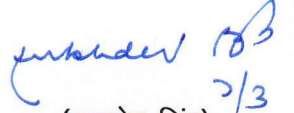
(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 287

राँची, दिनांक :- 07-03-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/दुमका/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

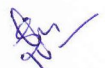
  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 287

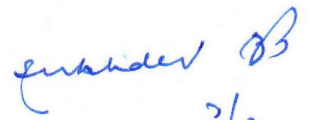
राँची, दिनांक :- 07-03-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

  
(मुक्ति साधम चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिचय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49P470180800460545

वित्तीय वर्ष 2016-17 में संशोधित बजट उपबंध 2100.00 लाख (एक्कीस करोड़) रुपये मात्र ।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र.                                                            | प्रमंडल का नाम                                   | मुख्य अभियंता | योजना का नाम                                                                                                                                    | प्रशासनिक स्वीकृति की |                                        | मार्च 2016 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन |                 |                 | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                  |               |                                                                                                                                                 | राशि                  | प्रसंग                                 |                       | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन   | कुल आवंटित राशि |                              |                                                                                                      |
| 1                                                               | 2                                                | 3             | 4                                                                                                                                               | 5                     | 6                                      | 7                     | 8                              | 9               | 10              | 11                           | 12                                                                                                   |
| 1                                                               | सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRAR002)               | प्रवर         | गोड्डा जिलान्तर्गत हरणा वीयर (दक्षिण एवं उत्तर) एवं उसकी वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु                                             | 964.030               | 26 / 15-16 प्र.स्वी. दिनांक 20.08.2015 | 2.60                  | 200.00                         | 85.22<br>264.78 | 550.00          | 100676<br>100697             | हरणा वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य                                                                 |
| योग                                                             |                                                  |               |                                                                                                                                                 |                       |                                        |                       | 200.00                         | 350.00          | 550.00          |                              |                                                                                                      |
| 2                                                               | सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा (GDDIRAR001) | प्रवर         | वित्तीय वर्ष 2016-17 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत् एवं मध्यम संवाह्य योजनाओं के सामान्य सम्मोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु। | 24.060                | 44 / 16-17 प्र.स्वी. दिनांक-19.09.2016 | 0.00                  | 0.00                           | 20.00           | 20.00           | 100671                       | प्रमंडल अंतर्गत 4 अदर सिंचाई योजना का वार्षिक सम्मोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान |
| योग                                                             |                                                  |               |                                                                                                                                                 |                       |                                        |                       | 0.00                           | 20.00           | 20.00           |                              |                                                                                                      |
| 3                                                               | सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF39)                | देवघर         | दरुआ वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य                                                                                                            | 280.296               | 82 / 13-14 दिनांक 21.02.2014           | 189.36                | 110.80                         | -90.35          | 20.45           |                              |                                                                                                      |
|                                                                 |                                                  |               | दहुआजोर वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य                                                                                                         | 358.597               | 79 / 13-14 दिनांक 20.02.2014           | 104.33                | 45.67                          | -14.87          | 30.80           | 34416                        |                                                                                                      |
| योग                                                             |                                                  |               |                                                                                                                                                 |                       |                                        |                       | 156.470                        | -105.220        | 51.250          |                              |                                                                                                      |
| कुल योग                                                         |                                                  |               |                                                                                                                                                 |                       |                                        |                       | 356.470                        | 264.780         | 621.250         |                              |                                                                                                      |
| अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ चौसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र । |                                                  |               |                                                                                                                                                 |                       |                                        |                       |                                |                 |                 |                              |                                                                                                      |

(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता(मुक्ति संधम चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव